न्यायालय अति[redacted]ला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकारिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 15 / 2014

प्रविष्टि दिनांक 17.09.2014

लादू पुत्र भंवरलाल उर्फ भूरा जाति कलाल निवासी पनवाड हाल निवासी जनता कॉलोनी, देवली तहसील देवली जिला टोंक राज.

.....आवेदक(प्रार्थी)

बनाम

1. गीता पत्नि नन्दलाल जाति कलाल निवासी बस स्टैण्ड के पीछे जनता कॉलोनी देवली जिला टोंक राज.
2. उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

.....विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970

विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 22.01.2002

उपस्थिति : (1) श्री अशोक कुमार गुप्ता, अभिभाषक आवेदक

निर्णय दिनांक 20/6/25

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 2943 रकबा 0.79 हैक्टैयर वाके ग्राम पनवाड तहसील देवली को दिनांक 22.01.2002 को प्रशासन गांव के संग अभियान में विपक्षी संख्या 1 को आवंटित की गई थी। आवेदक ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं वास्तविक तथ्यों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस विपक्षीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। विपक्षी संख्या 1 एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित रहे। अतः विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान अभिभाषक आवेदक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आवंटन आदेश विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। खसरा नं. 2943 रकबा 0.79 हैक्टेयर वाके ग्राम पनवाड तहसील देवली स्थित भूमि पर प्रार्थी व प्रार्थी के अन्य भाईयों का शामलाती कब्जा था। पूर्व में उक्त भूमि पर प्रार्थी के पिता भूरा का कब्जा था, उसके बाद उक्त भूमि पर प्रार्थी के बडे भाई [redacted] प्रार्थी का कब्जा रहा। प्रार्थी के बड़े भाई नन्दा का देहान्त को जाने के बाद

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

प्रार्थी व प्रार्थी की भाभी गीता ने संयुक्त रूप से उक्त भूमि पर अतिक्रमण के नियमन हेतु दिनांक 21.01.2002 को प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन विपक्षी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से साज करके उक्त प्रार्थना पत्र नियमन में से प्रार्थी का नाम काटकर उक्त भूमि को स्वयं के नाम दिनांक 22.01.2002 को आवंटन करवा लिया। विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन काश्तकार नहीं है। विपक्षी संख्या 1 के नाम बहुत सारी जमीन खातेदारी में है। विपक्षी संख्या 1 ने उक्त आवंटन वास्तविक तथ्यों को छिपाकर और अपनी खातेदारी में पहले से मौजूद भूमि का सही ब्यौरा न देकर छल–कपट से स्वयं के नाम करवाया है।

प्रार्थी व प्रार्थी के भाई नन्दलाल ने संयुक्त रूप से उक्त भूमि को अपने नाम आवंटन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था। उक्त प्रार्थना पत्र देने के बाद कुछ दिनों में ही प्रार्थी के बडे भाई नन्दा का देहान्त हो गया तो विपक्षी संख्या 1 ने उक्त प्रार्थना पत्र में स्वयं का नाम भी लिखवा दिया और प्रार्थी का नाम काट दिया और स्वयं के नाम आवंटन करवा लिया जबकि मौके पर विपक्षी संख्या 1 का सम्वत् 2050 से 2056 तक कभी भी कब्जा नहीं रहा है बल्कि नन्दा पुत्र भूरा का कब्जा था और प्रार्थी का बड़ा भाई नन्दा उक्त भूमि में से हर वर्ष हिस्सा प्रार्थी को दिया करता था लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने के बाद विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थी को हिस्सा देना बन्द कर दिया जबकि मौके पर आज भी उक्त भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा है। इस कारण विपक्षी सं. 1 के पक्ष में किया गया आवंटन खारिज किये जाने योग्य है।

मृतक नन्दा उर्फ नन्दलाल के तीन पुत्र एवं एक पुत्री भी जायज वारिसान हैं लेकिन उनमें से किसी के नाम उक्त भूमि का आवंटन नही हुआ हैं, मात्र अकेली उक्त गीता देवी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर स्वयं के नाम आवंटन करवा लिया है। उक्त आवंटन से पूर्व सार्वजनिक रूप से उद्घोषणा जारी नहीं की गयी है। प्रार्थी को सुनवाई का मौका नही दिया गया है। इस कारण उक्त आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य हे । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 के हक में दिनांक 22.01.2002 को खसरा नं. 2943 खबा 0.79 हैक्टेयर वाके ग्राम पनवाड़ का किया गया आवंटन को निरस्त फरमाया जावे ।

विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस को सुना एंव मनन किया तथा पत्रावली पर आये सबूत/दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि आराजी खसरा नम्बर 2943 रकबा 0.79 हैक्टैयर वाके ग्राम पनवाड़ तहसील देवली को दिनांक 22.01.2002 को प्रशासन गांव के संग अभियान में विपक्षी संख्या 1 को आवंटित की गई थी। आवेदक का कथन हैं कि

विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन काश्तकार नहीं थी एवं उसने अपनी खातेदारी की जमीन के तथ्यों को छिपाकर उक्त आवंटन करवाया है परन्तु आवेदक ने अपने कथनों की पुष्टि में कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये है। नियमन पत्रावली में संलग्न भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में अंकित हैं कि "गीता पत्नि नन्दा कलाल के नाम नियमन किये जाने योग्य है क्योंकि लादू का कब्जा दर्ज नहीं है"। पटवारी की रिपोर्ट में भी स्पष्ट हैं कि विपक्षी संख्या 1 का उक्त भूमि पर सम्वत् 2050 से 2056 तक कब्जा रहा है। नियमन के समय उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का ही कब्जा था। आवेदक ने उक्त भूमि पर स्वयं का कब्जा होना बताया है परन्तु इस बाबत् भी कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किए है।

वादग्रस्त खसरा नम्बर पर आवंटन दिनांक से वर्तमान तक किसका भौतिक रूप से कब्जा रहा है, इसकी स्पष्ट स्थिति के लिए तहसीलदार देवली से रिपोर्ट एवं नकल खसरा गिरदावरी आवंटन से वर्तमान तक की तलब की गई। तहसीलदार देवली ने पत्र क्रमांक 3022 दिनांक 30.09.2024 से रिपोर्ट प्रेषित की है कि आवंटन के समय से ही खातेदार गीता पत्नी नंदलाल जाति कलाल का आदिनांक तक मौके पर कब्जा है एवं खसरा गिरदावरी में भी गीता पत्नी नंदलाल का ही नाम अंकित है। इससे स्पष्ट होता हैं कि वादग्रस्त भूमि पर आवंटन से वर्तमान तक विपक्षी संख्या 1 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी संख्या 1 को दिनांक 22.01.2002 को खसरा नम्बर 2943 रकबा 0.79 हैक्टैयर वाके ग्राम पनवाड़ तहसील देवली के किये गये आवंटन को हम निरस्त करना उचित नहीं समझते है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 को दिनांक 22.01.2002 को किया गया खसरा नम्बर 2943 रकबा 0.79 हैक्टैयर वाके ग्राम पनवाड़ तहसील देवली का आवंटन यथावत रखा जाता है।

आज दिनांक 20/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक